न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल कोठारी**

आई.ए.एस.

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह 2.रूपसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी भागलसेफटा तहसील भीनमाल जिला जालोर 3.श्रीमती वाचना कंवर पुत्री सरदारसिंह पत्नि जबरसिंहजी जाति राजपूत निवासी लेदरमेर तहसील भीनमाल जिला जालोर 4.श्रीमती मथरा पुत्री सरदारसिंहजी पत्नि प्रतापसिंहजी जाति राजपूत निवासी नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर 5.श्रीमती उमग कंवर पुत्री सरदारसिंहजी पत्नि सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लेदरमेर के कायम मुकाम श्रीमती पारस कंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी नून तहसील जालोर जिला जालोर		1.श्रीमती तारी कंवर पुत्री सरदारसिंह जी पत्नि मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी पाथेडी तहसील सायला जिला जालोर के कायम मुकाम 1/1.रणजीतसिंह पुत्र मोतीसिंह 1/2.खंगारसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी पाथेडी तहसील सायला जिला जालोर 2.जबरसिंह पुत्र चमनसिंह 3.शैतानसिंह पुत्र चमनसिंह 4.श्रीमति तुलसी कंवर पत्नि चमनसिंह जाति राजपूत निवासी भगल सेफ्टा तहसील भीनमाल जिला जालोर 5.श्रीमती देशू कंवर पुत्री चमनसिंह पत्नि नैनसिंह जाति राजपूत निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर 6.श्रीमती सीता कंवर पुत्री चमनसिंह पत्नि अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी पोषाणा तहसील सायला जिला जालोर 7.सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 26/2016

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1- श्री परमानंद शर्मा/श्री निखिल दवे अभिभाषक अपीलान्टस

2- श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

3. रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1,1/2 व 2 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-05.09.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 11.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो ग्राम भागलसेफ्टा के नामान्तरकरण संख्या 272 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1/1,1/2 व 2 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट के पिता सरदारसिंह व चमनसिंह सगे भाई है,दोनो का स्वर्गवास हो चुका है।सरदारसिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपीलांटस तथा अपनी पुत्रीयो श्रीमती मथरा, वसना कंवर, श्रीमती तारीकंवर एवं उगम कवंर को वारिशान के रूप में छोडा है। रेस्पोडेन्ट रणजीतसिंह, खगारसिंह, श्रीमती तारी कंवर के वारिशान है। रेस्पोडेन्ट जबरसिंह, शैतानसिंह, श्रीमती देशु कंवर, श्रीमती सीता कवंर एवं श्रीमती तलसी कंवर चमनसिंह के वारिशान है। अपीलांट अशिक्षित है वर्ष 2001 में राजस्व अभियान के तहत प्रशासन गॉवो के संग का जहां पर अपीलांट को कहां गया की उनकी सामलाती भूमि का बटंवाडा करा दिया जाये तो ऋण आदि प्राप्त करने में सुविधा रहेगी तथा उन्हे यह भी आश्वासन दिया गया की सरदारसिंह व चमनसिंह की सामलाती भूमि भागलसेफटा की सरहद में आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है का 1/2, 1/2 हिस्सा का विभाजन कराया जावेगा।

खसरा नंबर	रकबा	किस्म
408	2.01 हैक्टर	किस्म भूमि चाही दोयम
418	1.31 हैक्टर	किस्म भूमि चाही दोयम
419	1.31 हैक्टर	किस्म भूमि चाही दोयम
409	0.02 हैक्टर	गैर मुमकिन बैरा व सडा
396	0.47 हैक्टर	किस्म भूमि बारानी दोयम
397	1.45 हैक्टर	किस्म भूमि बारानी दोयम
398	1.85 हैक्टर	किस्म भूमि बारानी दोयम

कुल रकबा 842 हैक्टर की आई हुई है तथा उपरोक्त आराजी पर अपीलांट देवीसिंह, रूपसिंह तथा रेस्पोडेन्ट जबरसिंह, शैतानसिंह एवं तुलसी कंवर मौके पर काबिज है अन्य अपीलांट व रेस्पोडेन्ट विवाहित पुत्रीया होने से अपने ससुराल में निवास करती है तथा सम्पूर्ण आराजी पर 1/2 हिस्सा एवं सरदारसिंह के 1/2 हिस्से में चमनसिंह के वारिशान काबिज है। स्वर्गीय चमनसिंह होशियार व चालक व्यक्ति थे। जिन्होने अपीलांटस देवीसिंह व रूपसिंह को धोखे में रख कर यह दस्तावेज तैयार करवाया कि सम्पूर्ण भूमि दोनो की आधी आधी रहेगी। परन्तु वास्तव में खसरा नंबर 408, 418, 419 जो सिंचित भूमिया है एवं खसरा नंबर 409 जो बेरा एवं सडा है स्वयं चमनसिंह ने अपने हिस्से में लिखवा दिया एवं खसरा नंबर 396, 397 व 398 अपीलांट रूपसिंह, देवीसिंह उनकी स्वर्गीय माता सोनी बाई के हक में लिखवा दिया।जिसकी जानकारी अपीलांट को लम्बी अवधि तक नही हो सकी। अपीलांट देवीसिंह, रूपसिंह एवं रेस्पोडेन्ट जबरसिंह, शैतानसिंह व तलसी कवंर समान रूप से काश्त कर रहे है अन्य अपीलांट व रेस्पोडेन्ट विवाहित पुत्रियां जो ससुराल में रहती है। दिनांक 17.05.2016 को अपीलांट देवीसिंह व रूपसिंह खसरा नंबर 409 बैरा व सडा पर गये तथा पानी की नाली ठीक करने लगे तो रेस्पोडेन्ट जबरसिंह व शैतानसिंह ने उन्हे रोका एवं कहा कि बेरा व सडा में तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है एवं न ही पिवल भूमि में है। जिस पर अपीलांट दिनांक 18.05.2016 को पहले भीनमाल गये,वहा पूछताछ की तो मालूम चला की पुराना रेकर्ड जालोर में जमा हो चुका है। जिस पर जालोर आकर 18.05.2016 को नामान्तरकरण नकल हाशिल की, उससे पूर्व अपीलांट को नामान्तरकरण अपीलाधीन की जानकारी नहीं हुई, सर्वप्रथम दिनांक 18.05.2016 को दी जानकारी हुई। अपीलांट देवीसिंह, रूपसिंह एवं स्वर्गीय सोनी बाई तथा चमनसिंह में मध्य किया गया विभाजन राजस्थान ट्रिनेन्सी पार्टीशन रूल्स के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टिया विभाजन का दस्तावेज तथा उसके आधार पर भरा गया नामान्तरकरण अवैध है। क्योकि राजस्थान ट्रिनेन्सी पार्टीशन रूल्स के तहत संयुक्त खातेदारी भूमि में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि समान रूप से दिलाया जाने का प्रावधान है। बेरे से पानी लेने का अधिकार सभी का समान रहता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को असिचिंत भूमि दिलाई गई है एवं मात्र 3.77 हैक्टर भूमि दिलाई गई है। जबकि स्वर्गीय चमनसिंह को 4.63 हैक्टर सिचित भूमि एवं बेरा व सडा सम्पूर्ण दिलाया गया है। जिससे विभाजन पत्र व उसके माध्यम से भरा गया नामान्तरकरण अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विभाजन पत्र को शून्य करणीय कराने का अपना अधिकार सुरक्षित करते है। अपीलांट को नामान्तरकरण का पता दिनांक 17.05.2016 को रेस्पोडेन्ट द्वारा उन्हे पानी की नाली ठीक करने से रेस्पोडेन्ट शैतानसिंह व जबरसिंह द्वारा रोकने पर हुआ। उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। सम्पूर्ण जानकारी 18.05.2016 को नामान्तरकरण की नकल मिलने पर हुई एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान होने व नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीनमाल ने स्वर्गीय चमनसिंह व सरदारसिंह के वारिशान की जांच नहीं की न ही उन्हे नोटिस दिया। जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलधीन नामान्तरकरण निरस्त करावे।

4. सरकारी अभिभाषक द्वारा बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 11.12.2001 की पालना में बंटवाडा का नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है। जो विधीवत है। यदि अपीलांटस बंटवाडे के आदेश से व्यथित है तो उसकी अपील करता। न्यायिक आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण को गलत नहीं कहा जा सकता है। अत: अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व अपीलाधीन नामान्तरकरण का का अध्ययन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। मै सरकारी अभिभाषक द्वारा बहस में बताये गये तथ्यो से सहमत हूं। यह नामान्तरकरण तहसीलदार भीनमाल के आदेश क्रमाक/18 दिनांक 11.12.2001 की पालना में बंटवाडा का अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया। जिसे भू अभिलेख निरीक्षण द्वारा जांच किये जाने के पश्चात तहसीलदार भीनमाल द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश जो ग्राम भागल सेफ्टा के नामान्तरकरण संख्या 272 पर पारित किया गया है, में किसी प्रकार की अनियमितता होना नही पाया जाने से अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य है। अत: अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 05.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,जालोर